छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 442 / 2006</u>

श्री कचरूद्दीन सोलंकी,
आत्मज श्री शहाबुद्दीन सोलंकी,
नगर पंचायत गंडई, वार्ड क्रमांक–6,
पोस्ट–गंडई पंडरिया, तहसील–छुईखदान,
जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पंचायत गंडई,
तहसील–छुईखदान, वार्ड क्रमांक–6,
जिला–राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 04 जुलाई 2007)

श्री कचरूद्दीन सोलंकी के द्वारा जन सूचना अधिकारी, नगर पंचायत गंडई को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि नगर पंचायत गंडई के वार्ड क्रमांक–6 के अंतर्गत उप तहसील कार्यालय के सामने निर्मित दुकानें किस योजना के अंतर्गत निर्मित की गई, उनकी साईज़ एवं किन–किन व्यक्तियों को आबंटित की गई तथा आबंटन की क्या–क्या शर्तें हैं, यह जानकारी चाही। जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील की गई। वांछित सभी जानकारी उसे नहीं मिली, अतः आयोग के समक्ष द्वितीय अपील की गई। आयोग के द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा बतलाया गया कि संबंधित दुकानों की नस्ती संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन को जाँच हेतु भेजी गई थी, तदुपरांत प्राप्त नहीं होने पर जानकारी नहीं दी जा सकी। आयोग के द्वारा निर्देश दिये गये कि संचालनालय से नस्ती प्राप्त कर अपीलार्थी को जानकारी दी जावे। दिनांक 15–02–2007 को जानकारी प्राप्त न होने के कारण तथा नस्ती संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन के द्वारा न दिये जाने के कारण संयुक्त संचालक के विरूद्ध 10,000 / – रुपये की शास्ति क्यों न आरोपित किया जावे का कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया। संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस के उत्तर में बतलाया कि तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष के विरूद्ध जाँच में नस्ती शासन को आरोप–पत्र जारी करने के लिये भेजी गई थी। अतः आयोग के द्वारा शासन से नस्ती प्राप्त कर जानकारी देने का आदेश दिया गया तथा अनुसूचित जाति के बारे में भ्रामक जानकारी देने के कारण मुख्य नगर पालिका अधिकारी को 15,000 / – रुपये का अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने का आदेश दिया गया। शासन के द्वारा नस्ती मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नहीं दिये जाने के कारण सचिव, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन को 10,000 / – रुपये का अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस जारी

करने का आदेश दिया गया तथा उनसे स्पष्टीकरण भी माँगा गया। विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन के द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया गया तथा बतलाया गया कि नस्ती शासन स्तर पर उपलब्ध नहीं हो रही है। प्रारंभिक रूप में यह पाया गया कि तत्कालीन विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन के निज सहायक (स्टेनोग्राफर) श्री अजहर हुसैन के द्वारा प्राप्त की गई थी। अतः उनके विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही की जा रही है। नस्ती न मिलने के फलस्वरूप जानकारी नहीं दी जा सकी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष से पत्र लिखकर उन्हें मिले आरोप–पत्र में संबंधित नस्ती की छायाप्रतियाँ बुलाई जाकर आवेदक को दी गई। अपीलार्थी ने आवेदन दिया कि उक्त छायाप्रतियाँ प्रमाणित नहीं है तथा पूर्ण जानकारी नहीं दी गई।

2/ मेरे द्वारा अपीलार्थी, जन सूचना अधिकारी नगर पंचायत गंडई, संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विशेष सचिव, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन के द्वारा प्रस्तुत जवाबों का अवलोकन किया गया तथा उनके तर्कों को सुना गया। प्रकरण में यह सर्वमान्य तथ्य है कि तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष के विरूद्ध जाँच हेतु नस्तियाँ संचालनालय के जाँच अधिकारी ने प्राप्त की थी, तथा आरोप–पत्र जारी होने पर आरोपी के द्वारा अभिलेखों की प्रतियां मांगे जाने पर शासन को अभिलेख भेजे गये, जो कि विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन के निज सहायक के द्वारा प्राप्त किये गये। उक्त नस्तियाँ मूलतः नगर पंचायत, गंडई/संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं शासन स्तर पर उपलब्ध नहीं है। प्रारंभिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई.आर. लिखाने की कार्यवाही शासन स्तर पर की गई है। चूँकि मूल नस्तियाँ नगर पंचायत में उपलब्ध नहीं थी, अतः जन सूचना अधिकारी, नगर पंचायत के द्वारा जानकारी नहीं दी जा सकी। जानकारी समयावधि में न देने के लिये वे उत्तरदायी नहीं हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा अपने स्तर पर प्रयास कर तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष से प्राप्त मूल अभिलेखों की छायाप्रतियों की छायाप्रतियाँ अपिलार्थी को भेजी गई। जो जानकारी दी गई है वह अपीलार्थी के द्वारा मांगे गये चारों बिन्दुओं पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर दी गई है। तत्कालीन समय में दुकानों के आबंटन का अनुबंध शर्तें उपलब्ध न होने के कारण नहीं दी गई, किन्तु वर्ष 2005 से 2008 तक के अनुबंध की छायाप्रतियाँ दी गई। अतः मुख्य नगर पालिका अधिकारी जानकारी न देने अथवा विलम्ब से देने के लिये उत्तरदायी नहीं है, अतः उनके विरूद्ध जारी अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन ने भी यह सिद्ध किया है कि नस्तियाँ शासन के विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन को भेजी गई थी। नस्तियाँ उपलब्ध नहीं होने के कारण संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत गंडई को नस्तियां भेजने में असमर्थ थे। अतः अपीलार्थी को जानकारी समय पर नहीं प्रदान करने के लिये वे दोषी नहीं है, अतः उनके विरूद्ध भी जारी अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। विशेष सचिव, छ.ग.शासन, नगरीय प्रशासन के द्वारा बतलाया गया कि नस्तियां शासन स्तर पर उपलब्ध नहीं है तथा प्रारंभिक रूप से नस्तियां न उपलब्ध होने के लिये तत्कालीन विशेष सचिव के पूर्व सेवानिवृत्त स्टेनोग्राफर के विरूद्ध पुलिस में एफ.आई. आर. दर्ज करने के लिये संबंधित पुलिस थाने को सूचित किया गया है। अतः प्रारंभिक रूप से जानकारी अपीलार्थी को प्रदान नहीं करने के लिये वे भी उत्तरदायी प्रतीत नहीं होते, अतः उनके विरूद्ध भी जारी अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया

जाता है। यह अवश्य है कि इस प्रकार शासन स्तर पर महत्त्वपूर्ण प्रकरणों की नस्तियाँ का संधारण ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिससे कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करने के लिये आवेदकों को भटकना पड़ता है, यह स्थिति उचित नहीं है। सचिव, छ. ग. शासन, नगरीय प्रशासन को इस आदेश की प्रति भेजकर निर्देशित किया जावे कि शासन स्तर पर नस्तियों के संधारण एवं सुरक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जावे तथा यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानीय नगरीय प्रशासन इकाईयों से प्राप्त नस्तियों की आवश्यकता नहीं होने पर उन्हें तत्काल संबंधित नगरीय संस्थान को वापिस किया जावे। यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि निर्मित दुकानों से संबंधित नस्ती पुनः खोजी जावे, तथा उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध सक्षम कार्यवाही की जावे। यह सुनिश्चित किया जावे कि पुलिस के द्वारा होने वाली जाँच में विभागीय अधिकारी सम्पूर्ण तथ्यों सहित सहयोग दें।

3/ अपीलार्थी के द्वारा मांग की गई है कि उसे जो अभिलेख दिये गये हैं, वह प्रमाणित नहीं है। विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन के द्वारा आयोग के समक्ष यह आश्वासन दिया गया है कि नगर पंचायत गंडई के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, गंडई अभिलेखों की प्रतियाँ प्रमाणित कर अपीलार्थी को 15 दिन के अन्दर निःशुल्क उपलब्ध करायेंगे।

4/ अपीलार्थी को वांछित अभिलेख न मिलने के फलस्वरूप आर्थिक एवं मानसिक क्षति हुई है। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत निर्देश दिये जाते हैं कि शासन स्तर पर विभाग द्वारा अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में 1000/– रुपये (एक हजार रुपये मात्र) की राशि का भुगतान किया जावे।

5/ उपरोक्त निर्देशों सहित अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त